प्रेस विज्ञप्ति

03-11-2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामले में महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (डीएकेसी) की 4,462 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 132 एकड़ से अधिक जमीन कुर्क की है।

इस समूह की कुल कुर्क की गई सम्पत्तियां अब 7,500 करोड़ रुपये से अधिक हो गई हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशेष कार्य बल, मुख्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत, महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (डीएकेसी) में 4,462.81 करोड़ रुपये मूल्य की 132 एकड़ से अधिक भूमि अनंतिम रूप से कुर्क की है। गौरतलब है कि ईडी ने इससे पहले रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामलों में 3,083 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 42 संपत्तियां कुर्क की थीं।

ईडी ने सीबीआई द्वारा आरकॉम, श्री अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-ख , 406 और 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(घ) के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी।

आरकॉम और उसकी समूह कंपनियों ने 2010-2012 की अवधि के दौरान घरेलू और विदेशी ऋणदाताओं से ऋण लिया, जिसमें से कुल 40,185 करोड़ रुपये बकाया हैं। 5 बैंकों ने इस समूह के ऋण खातों को धोखाधड़ी घोषित किया है।

ईडी की जांच से पता चला है कि एक संस्था द्वारा एक बैंक से लिए गए ऋणों का उपयोग अन्य संस्थाओं द्वारा अन्य बैंकों से लिए गए ऋणों के भुगतान, संबंधित पक्षों को हस्तांतरण और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए किया गया था, जो ऋणों के स्वीकृति पत्र के निबंधन और शर्तों का उल्लंघन था। विशेष रूप से, आरकॉम और उसकी समूह कंपनियों ने ऋणों को नियमित बनाए रखने के लिए ₹13,600 करोड़ से अधिक की राशि को विपथित (डायवर्ट) किया; ₹12,600 करोड़ से अधिक को संबंधित पक्षों को भेजा गया और ₹1,800 करोड़ से अधिक को सावधि जमा/म्यूचूअल फंड (एफडी/एमएफ) आदि में निवेश किया गया, जिसे समूह संस्थाओं में पुनर्निवेश करने के लिए काफी हद तक नकदीकरण किया गया। ईडी ने संबंधित पक्षों को धन पहुंचाने के उद्देश्य से बिल डिस्काउंटिंग के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का भी पता लगाया है। कुछ ऋण विदेशी धन प्रेषण के माध्यम से भारत से बाहर ले जाए गए।

इन मामलों में कुल कुर्की 7,545 करोड़ रुपये से अधिक की है। ईडी वित्तीय अपराध करने वालों की सक्रियता से तलाश कर रहा है और अपराध की आय उनके वास्तविक दावेदारों को वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

आगे की जांच जारी है

कुर्क संपत्तियों की तस्वीर :